सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 72 / 2013

बनैसिंह पुत्र हरिसिंह कौम जाटव निवासी झंझार तह0 नगर

—— वादी

बनाम

1. रामस्वरूप | पिस0 हरीसिंह कौम जाटव नि0 झंझार तह0 नगर
2. करनसिंह |
3. प्रेमचन्द पुत्र हरीसिंह कौम जाटव नि0 झंझार हाल सीकरी
4. भग्गो | पुत्रीयान हरीसिंह कौम जाटव नि0 झंझार तह0 नगर
5. शान्ती |
6. तिलकू | पुत्रीयान स्व0 कृष्णा पुत्री हरीसिंह
7. गिर्राज |
8. ओमा | पुत्रीयान स्व0 कृष्णा पुत्री हरीसिंह
9. लक्ष्मी |

जातियान जाटव नि0 सीकरी पट्टी तह0 नगर

—— प्रतिवादीगण असल

10. उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक सीकरी
11. तहसीलदार नगर

—— फौरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

श्री संदीप मदान, अधिवक्ता वादीगण

श्री अशोक गुप्ता, प्रति0

निर्णय दिनांक 29 / 11 / 2017

वादी ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि आ0ख0नं0 610 / 0.30, 611 / 0.33, 652 / 0.37, 653 / 0.28, 753 / 0.22, 754 / 0.29, 755 / 0.22, 756 / 0.26, 1434 / 0.27 1435 / 0.48, 1468 / 0.19, 1469 / 0.25, 1477 / 0.45, 1594 / 0.36, 1601 / 0.27, 1602 / 0.25,

1605/0.24, 1617/0.21 बाके ग्राम झंझार तह0 नगर पर वादी एवं प्रति0 संख्या 1 लगा0 3 का 1/4 – 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त पिता हरीसिंह के समय से ही बदस्तूर चला आ रहा है तथा सहमति से अलग–2 नम्बर बांट रखे हैं । मुताबिक मनबट वादी के हिस्से में ख0नं0 1477, 1594, 753, 754 प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के हिस्से में ख0नं0 611, 755, 756, 1434 प्रतिवादी सं0 2 करनसिंह के हिस्से में ख0नं0 1617, 610, 1435, 1601, 1605 एवं प्रति0 संख्या 3 प्रेमचन्द के हिस्से में ख0नं0 652, 653, 1468, 1469, 1602 आये तथा इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं । प्रति0 संख्या 4 लगा0 9 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा ना ही इनका मौके पर कब्जा काश्त है । फिर भी प्रति0 4 लगा0 9 गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वि0आ0 को दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा हैं जिसकी बावत् दि0 09.09.08 को ग्राम झंझार में स्पष्ट रूप से धमकी दी है । यदि वे अपने इरादे में सफल हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी । विदि वजह वादी मुताबिक मनबंट तकसीम करा कर पृथक–2 खाता कायम कराने तथा प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करापाने का अधिकारी है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 को मुताबिक मनबंट वि0आ0 पर खातेदार घोषित किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राज कलमजन किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 को जबाव दावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी दावा प्रस्तुत नही किया तथा दिनांक 12.08.09 को उनका जबाव बंद किया गया । प्रतिवादी संख्या 5, 10, 11 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.09.08 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 4 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी को दिनांक 09.08.08 को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई इसलिए वाद वादी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत काबिल खारिज है । वादी ने दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है । वि0आ0 वादी एवं प्रति0 संख्या 1 लगा0 9 की पैतृक आराजी है एवं राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्सा अनुसार खातेदार दर्ज है तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज है । वि0आ0 का आज तक कोई मौखिक बंटवारा नही हुआ है । प्रत्येक खेत पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 लगा0 9 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रति0 संख्या 6 लगा0 9 की माता कृष्णा के पिता हरीसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो फौत हो चुका है । इस प्रकार वि0आ0 पैतृक सम्पत्ति है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 9 अपने–अपने हिस्सा अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं जिससे दावा वादी काबिल खारिज है । इस दावा से पहले प्रतिवादी रामस्वरूप ने वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन्ही तथ्यों के आधार पर एक दावा पेश किया था जो खारिज किया जा चुका है जिससे वादी का दावा न्याय के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण काबिल खारिज है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया वादी वि0आ0 वर्णित वाद पत्र की मद नं0 2 में वाद पत्र में चाहे गये मनबट के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है ? –– जिम्मे वादी
2. आया वादी प्रतिवादी0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने का अधिकारी है ? –– जिम्मे वादी
3. आया वादी को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही होती है जिससे दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
4. आया दावा वादी नोटिस धारा 80 सीपीसी नही दिये जाने से काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
5. दादरसी ?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2061–64 प्रदर्श–1 दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी बनैसिंह पीडब्ल्यू–1 एवं गवाह बुद्धसिंह पीडब्ल्यू–2, अयूब पीडब्ल्यू–3 के बयान कराये हैं ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2061–64 प्रदर्श–1 बाके ग्राम झंझार के खाता संख्या 678 में आ0ख0नं0 610/0.30, 611/0.33, 652/0.37, 653/0.28, 753/0.22, 754/0.29, 755/0.22, 756/0.26, 1434/0.27 1435/0.48, 1468/0.19, 1469/0.25,

1477/0.45, 1594/0.36, 1601/0.27, 1602/0.25, 1605/0.24, 1617/0.21 की बावत् – ''हरीसिंह पुत्र छीतर कौम चमार साकिन देह खातेदार '' दर्ज है तथा नामां0 संख्या 1450 विरासत 17.07.2004 हरीसिंह के बजाय रामस्वरूप, प्रेमचन्द, करनसिंह, बनैसिंह पि0 हरीसिंह, मग्गो, कृष्णा, शांति पुत्रियान हरीसिंह कौम चमार सा0देह बहि0बराबर खातेदार किता 18 रकबा 5.24 '' का नोट अंकित है । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अनुसार वि0आ0 वादी एवं प्रति0 के पिता हरीसिंह की खातेदारी की भूमि है जो वादी एवं प्रति0 के नाम विरासत में बतौर खातेदार प्राप्त हुई है तथा वि0आ0 के वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड सह काश्तकार हैं । वादी ने अपने वाद में विवादित आराजी का मनबंट से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के हिस्से में पृथक–पृथक नम्बरान का आना अंकित करते हुए खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है लेकिन अपने कथनों की पुष्टि में कोई लिखित बटवारा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे वह अपने दावा को साबित करने में असफल रहा है जबकि राजस्व रिकार्ड में सभी प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज हैं जिनका नाम हटाने का अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही है । अतः आदेश है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 29/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर